बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–8बी/विविध-अरा0आ0नि0-12/2023 -1597/– श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, गणपतगंज (सुपौल) के विरूद्ध सैयद आबिद हुसैन, किशनगंज द्वारा अवैध उगाही की शिकायत की गयी एवं इससे संबंधित विडियो क्लिप को दिनांक–11.04.2023 को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। वायरल किये गये विडियो क्लिप में श्री कुमार द्वारा पत्रकार को अभद्र गाली एवं कार्यालय में अवैध उगाही का हिस्सा समाहरणालय में दिये जाने की बात कही गयी। इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक–851 दिनांक–11.04.2023 द्वारा जिला अवर निबंधक, किशनगंज को जॉच करते हुए दोषी कर्मी के विरूद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इस संदर्भ में जिला अवर निबंधक, किशनगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री कुमार के अवैध राशि की उगाही किये जाने संबंधी जारी बयान के कारण सोशल मिडिया में वायरल विडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के कारण कार्यालय आदेश सं0–2459 दिनांक–21.06.2024 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संचालन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, कटिहार तथा प्रस्तुतिकरण पदधिकारी, अवर निबंधक, ठाकुरगंज को नियुक्त किया गया तथा उन्हें जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। विभागीय कार्यवाही के उपरांत संचालन पदाधिकारी–सह–जिला अवर निबंधक, कटिहार द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि वर्णित आरोपों के विरूद्ध जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज के कार्यालय अधीक्षक श्री शंकर पासवान के द्वारा टाउन थाना, किशनगंज में दिनांक–13.04.2023 के प्राथमिकी सं0–158 दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी कर्मी श्री संजय कुमार के विरूद्ध अवैध उगाही एवं अभद्र गाली देने संबंधी आरोप के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में श्री कुमार पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, किशनगंज के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोपों को यद्यपि साक्ष्यविहीन प्रतिवेदित किया गया है किन्तु स्वतः स्पष्ट है कि समाहरणालय में श्री संजय कुमार से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया एवं आम जनों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, जो सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचार नियमावली के प्रतिकूल है। उक्त आलोक में श्री कुमार को विभागीय आदेश–3130 दिनांक–09.06.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के अधीन लघु दण्ड 1. निन्दन (आरोप वर्ष 2023) एवं 2. असंचयात्मक प्रभाव से 01 वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–08.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

12.03.26

3. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा कि उनके विरूद्ध आमजनों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किये जाने का आरोप नहीं लगाया गया है। उनके द्वारा आमजनों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना स्वीकार नहीं किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न साक्ष्य अनुलग्नको की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी जिला अवर निबंधक, किशनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज के कार्यालय अधीक्षक, श्री शंकर पासवान के द्वारा टाउन थाना, किशनगंज में दिनांक–13.04.2023 को प्राथमिकी सं0–158 दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। फलस्वरूप वे इस पर बिना कोई टिप्पणी किये आरोपी कर्मी श्री संजय कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय किशनगंज सम्बद्ध सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिये गये स्पष्टीकरण, साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यान तथा अन्य पहलूओं के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी कर्मी श्री संजय कुमार के विरूद्ध अवैध उगाही एवं अभद्र गाली देने संबंधी आरोप के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है किन्तु संचालन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, किशनगंज के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोपों को यद्यपि साक्ष्यविहीन प्रतिवेदित किया गया है किन्तु स्वतः स्पष्ट है कि समाहरणालय में श्री संजय कुमार से पूछताछ करने पर उनके द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया एवं आम जनों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, जो सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री संजय कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, गणपतगंज (सुपौल) के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज सम्प्रति अवर निबंधन कार्यालय, गणपतगंज (सुपौल) के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 8बी/विविध-अरा0आ0नि0-12/2023 1597/– पटना, दिनांक– 12.03.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, किशनगंज/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, मुंगेर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पुर्णिया प्रमण्डल, पुर्णिया/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/जिला अवर निबंधक, किशनगंज/अवर निबंधक गणपतगंज (सुपौल) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री संजय कुमार, कार्यालय परिचारी, जिला निबंधन कार्यालय, किशनगंज सम्प्रति अवर निबंधन, कार्यालय, गणपतगंज (सुपौल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

12.03.26